RAJAJSTHAN FINANCIAL CORPORATION
(ARRC Cell)

Udyog Bhawan,
Tilak Marg,
JAIPUR

Ref.No.RFC/ARRC/ 606 Dated : 01-08-2002

C I R C U L A R
(ARRC No. 51)

Sub : **Sale of units under possession**

Attention is invited to PG Circular No. 976 dated 26-07-2002. The copy of State Govt. order No. F 4(10)/ FD/Tax/2002 dated 05-04-2002 is enclosed for ready reference.

All concerned are advised to make a note of above.

(Rameshwar Pareek)
Dy. Gen. Manager (ARRC - I)

Encl : As above.

Copy to :

1. All ROs/BOs/SOs
2. GM(WZ), Jodhpur/DGM(A&I), Ajmer
3. Standard Circulation in HO

Copy also to :

1. Spl. Secy. Finance Deptt., Govt. of Rajasthan, Jaipur in reference to their order No.F 4(10)/ FD/ Tax/2002 dated 5-4-2002.

Annex "B"

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

क्रमांक: एफ4(10)एफडी/टैक्स/2002 जयपुर, दिनांक : 05.04.2002

आदेश

(1) रीको एवं राजस्थान वित्त निगम के द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत अधिगृहित इकाईयों की परिसंपत्तियों के बेचान से प्राप्त शुद्ध राशि ऋणदात्री संस्थाओं यथा आरएफसी अथवा रीको (वित्तियोजन एवं औद्योगिक विकास संबंधी) एवं दूसरे, यथा विद्युत (विद्युत वितरण निगमों समेत), वाणिज्यिक कर, यातायात, भूमि एवं भवन कर, एक्साईज, जलदाय, उद्योग इत्यादि राज्य सरकार के विभागों के बीच 70:30 के अनुपात में वितरित की जायेगी। ऐसी स्थिति में जबकि राज्य सरकार के उक्त विभागों की कुल बकाया राशि 30 प्रतिशत से कम होगी, अवशेष राशि ऋणदात्री संस्थाओं को उनके बकाया भुगतान के लिए उपलब्ध होगी। इसी प्रकार से जब राज्य सरकार के विभागों की कुल राशि, 30 प्रतिशत से अधिक तथा रीको आरएफसी की राशि, 70 प्रतिशत से कम होगी तब अवशेष राशि राजकीय विभागों में बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध होगी। राज्य सरकार के विभागों को 30 प्रतिशत से अधिक राशि उसी दशा में देय होगी, जबकि राज्य की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनी संबद्ध वित्तीय संस्थाओं का भुगतान कर दिया हो।

(2) अधिगृहित इकाईयों के विरुद्ध राज्य सरकार के विभागों की बकाया मांग राशि (लम्बकीय ब्याज एवं शास्ति) को क्रेता उद्यमी से वसूल नहीं किया जायेगा। विद्यमान नियमों के अन्तर्गत विभाग अपनी मूल ब्याज, शास्ति (शेष बकाया राशि) बाकीदार से वसूल कर सकेंगे।

(3) रीको एवं वित्त निगम द्वारा अधिगृहित इकाईयों का कब्जा में विक्रय किये जाने की स्थिति में संबंधित विभागों को देय राशि का भुगतान प्राप्ति के पश्चात 30 दिवसों के भीतर कर दिया जायेगा। स्थगित विक्रय की स्थिति में वित्त निगम / रीको को क्रेता से विक्रय राशि की प्राप्त होने वाली प्रत्येक किश्त में से 30 प्रतिशत राशि संबंधित विभागों को प्राप्त होने के 3 माह में आनुपातिक रूप से देते रहेंगे। समय पर भुगतान नहीं किये जाने पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।

(4) अधिग्रहित इकाईयो के क्रेताओं को सभी संबंधित विभाग आवश्यक पंजीकरण एवं अन्य सुविधाऐं नियमानुसार उपलब्ध करायेंगे।

(5) यह आदेश वर्ष 1 मई, 2002 से लागू होगें।

(दीपक उप्रेती)
शासन विशिष्ट सचिव वित्त (राजस्व)